फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

संगीता वगै0 बनाम कैलाश वगै0

मुकदमा नं0 113/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वादीगणों के वाद पत्र, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) सी0पी0सी0 व जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) सी0पी0सी0 एवं वकील वादीगण की लिखित बहस तथा अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। बहस में वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) सी0पी0सी0 में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित पेश किया गया है और वाद पत्र विधि विरूद्व है जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में नही है तथा विधि विरूद्व वाद प्रथम दृष्टया इसी स्तर पर नामंजूर किये जाने योग्य है। वादीगण की ओर से वाद पत्र के मद सं0 5 में रजि0 विकय पत्र दिनांक 04.02.2019 एवं रजि0 पत्र दिनांक 22.06.2022 को षडयंत्र पूर्वक अवैध प्रकार से तथा फर्जकारी कार्यवाही करके प्रतिवादी सं0 1 से गरिमा मिश्रा और प्रतिवादी सं0 2 द्वारा निष्पादित करवाया जाना कथित किया है जबकि प्रतिवादी सं0 1 जो कि वादीगण के पिता है, के विरूद्व ही वादीगण ने वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी सं0 1 ने ना ही तो दिनांक 04.02.2019 को और ना ही उसके वाद 22.06.2022 को और उसके वाद कभी उसके द्वारा रजिस्ट्री करवाये जाने को लेकर किसी षडयंत्र की कोई शिकायत या रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है और ना ही प्रतिफल राशि अदा नही होने की शिकायत कही की गई है। वास्तविकता यह है कि वादीगण और प्रतिवादी सं0 1 पिता, पुत्री, पुत्रिया आपस में षडयंत्र के तहत वदनियती के चलते कानून का दुरूपयोग करते हुये प्रतिवादी सं0 2 को ब्लैकमेल करने उससे रूपया हडपने की नियत से यह वाद पेश किया है। और पुत्र, पुत्रियों ने अपने ही पिता को प्रतिवादी सं0 1 वनाकर उसकी और से प्रतिफल राशि प्राप्त नही किया जाना रजिस्ट्री षडयंत्र पूर्वक करवाया जाना वर्णित किया है जवकि दिनांक 04.02.2019 को गरीमा मिश्रा को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा कराया गया विकय पत्र रजि0 दस्तावेज है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 91, 92, 93 के तहत कानूनी उपधारणा है कि रजि0 विक पत्र को मौखिक साक्ष्य से खण्डित नही किया जा सकता है और न्यायालय के समक्ष रजि0 विकय पत्र के प्रति उसे सही होने की उपधारणा ही की जा सकती है। जव तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता। रजि0 विकय पत्र दिनांक 22.06.2022 में विकेता द्वारा केता प्रतिवादी सं0 2 को कय की गई भूमि पर कब्जा दे दिया गया अंकित किया गया है तो कानूनी अवधारणा यही है कि कब्जा को केता को दे दिया गया और वास्तविक रूप से कय की गई भूमि खसरा नम्बर 26/3 पर कब्जा विकय पत्र अनुसार प्रतिवादी सं0 2 का है और कब्जा यावी का अनुतोष के विना दावा चलने योग्य नही है। वादीगण ने कब्जा प्राप्त करने हेतु दावा पेश नही किया है तथा सेढूराम और गरीमा मिश्रा को पक्षकार बनाये विना भी दावा चलने योग्य नही है तथा खसरा नम्बर 288, 289, 26/1 सहखातेदारी की भूमि है जिसके राहखातेदार सेढूराम को पक्षकार नही बनाया गया है और ना ही वंटवारा हेतु कोई दावा पेश किया गया है ऐसी स्थिति में दावा चलने योग्य नही है, इसी स्तर पर नामंजूर किया जाने योग्य है। यह कि प्रतिवादी सं0 1 स्वयं खातेदार था जिसने अपने पुत्र पुत्रियों की सहमति से भूमि का बेचान किया है और पिता के जीवित रहते पैतृक सम्पत्ति में पुत्र या पुत्रियों के अधिकार निहित	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से

नही है। धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पैतृक सम्पत्ति के संबंध में विरासत के नियम व उल्लेख करती है जिसके अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात ही पैतृक सम्पत्ति में पुत्र, पुत्रियों का अधिकार होता है परन्तु वादीगण स्वयं की जानकारी में प्रश्नगत विकय पत्र निष्पादित हुये है ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की आपत्ति वादीगण द्वारा नही ली जा सकती है और ना ही सद्भाविक केता को लालच में आकर पेश किये गये मुकदमे से परेशान कियां जा सकता है और ना ही कानूनी प्रावधानों का दुरूपयोग करने तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढावा देने हेतु वादीगण को छूट नही दी जा सकती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि के आज्ञापक नियमों एवं प्रावधानों के विपरित है तथा उनकी सहमति से विकय पत्र निष्पादित हुये है इसलिए उसके विपरित कथन नही करने हेतु धारा 115 साक्ष्य अधिनियम एस्टोपल के प्रिन्सिपल से प्रतिबंधित है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आदेश 7 नियम 11(घ) सी0पी0सी0 के प्रावधानों के परिधि में विधि विरूद्व होने से इसी स्तर पर नामंजूर किया जाने की कृपा करें।

वादीगण ने लिखित बहस पेश कर अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं0 1 लगायत 7 अस्वीकार योग्य है। वादीगणों ने इन कथनों के आधार पर वाद पत्र बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 पेश किया गया कि ग्राम नेवर में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा , खसरा नम्बर 288 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 289 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 200 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादीगणों की पैतृक भूमिया है। जिसमें वादीगणों का अपना विधिक अधिकार निहित है तथा प्रार्थी द्वारा अवैध विकय पत्रों का उल्लेख किया जिससे वादीगणों का विधिक अधिकारों की अनदेखी नही की जा सकती है तथा उक्त वाद पत्र पेश किया जो कानूनन सही एवं न्याय संगत पेश किया गया है। जिसे तनकियात कायम करके गुणावगुणों के आधार पर निर्णय किया जाना कानूनन आवश्यक है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) सी0पी0सी0 खारीज किया जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 1 को वादीगणों के विरासती हक अधिकार की भूमि को बेचान का कोई अधिकार नही है। इसलिये वादीगणों का हिस्सा के लिये वाद पत्र पेश करने के लिये वादीगण अधिकारी हैं। जिसका तनकियात कायम करके गुणावगुण क आधार पर निर्णय किया जाना कानूनन आवश्यक हैं। वादग्रस्त भूमि में वादीगणों के विरासती हक अधिकार के विपरित व विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित सी0पी0सी0 को मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

अतः पत्रावली में वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि के आज्ञापक नियमों एवं प्रावधानों के विपरित है तथा उनकी सहमति से विकय पत्र निष्पादित हुये है। वादपत्र की मद सं0 5 में रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 04.02.2019 एवं रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 22.06.2022 को षडयन्त्र पूर्वक अवैध प्रकार से तथा फर्जकारी करके प्रतिवादी सं0 1 से गरिमा मिश्रा और प्रतिवादी सं0 2 द्वारा निष्पादित करवाया जाना कथित किया है। जबकि प्रतिवादी सं0 1 जो की वादीगण के पिता है और प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त रजिस्ट्री करवाये जाने

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

संगीता वगै0 बनाम कैलाश वगै0

मुकदमा नं0 113/2023

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		को लेकर किसी षडयन्त्र की कोई शिकायत या प्रतिफल राशि संबंधी शिकायत कही दर्ज नही करवायी है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 2 द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) सी0पी0सी0 को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रतिवादी सं0 2 द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) सी0पी0सी0 को स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम को विधि विरूद्व होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	